13/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार रिपोर्ट अप्राप्त है। पत्रावली वास्ते इंतजार TDR रिपोर्ट दिनांक 28/8/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी।
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

28/8/25 पत्रावली पेश हुई ... /लोकसभा/ ... आज्ञा से
आयिक पेशी ...
अधिकारी ... कार्य ... रीडर
व्यस्तता/अवकाश से ... पत्रावली
दिनांक 25/9/25 को पेश हो। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

25/9/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अनु०। पत्रावली वास्ते आदेश आदि हेतु दिनांक 7.10.2025 को पेश हो।

7.10.25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी एवं सरकार पैरोकार उप०। जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में समय दिया जाता। पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस दिनांक 16.10.25 को पेश हो।

16.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस हेतु अंतिम अवसर चाहा दिया गया। पत्रावली दिनांक 27.10.25 को पेश।

27.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी, पैरोकार सरकार उप०। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक और अवसर चाहा। न्यायहित में दिया जाकर पत्रावली दिनांक 04.11.25 को पेश हो।

4.11.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उप० एवं सरकार पैरोकार उप०। बहस अभिभाषक सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे सिद्ध होता है कि राधेश्याम पुत्र श्री श्यामलाल है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में

क्रमशः —

खारिज निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 30/25

दायर दिनाँक :– 04.06.2025

निर्णय दिनाँकः– 04.11.2025

उनवान :– राधेश्याम

बनाम

राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री गजेन्द्र नामा, अधिवक्ता प्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी राधेश्याम पिता कंवरलाल जाति तैली निवासी बडगांव तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम बडगांव पटवार हल्का टोडरी मीरा तह0 मनोहरथाना की खाता संख्या नया 89 (पुराना 75) की कुल किता 01 की 0.8903 हेक्टेयर, खाता संख्या नया 87 (पुराना 73) की कुल किता 02 की 0.4371 हेक्टेयर, खाता संख्या नया 86 (पुराना 76) की कुल किता 01 की 0.0486 हेक्टेयर व खाता संख्या नया 111 (पुराना 102) की कुल किता 01 की 0.2347 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खाते दर्ज रिकार्ड है।

वाद में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम '' श्यामलाल पिता कंवर लाल'' दर्ज है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम ''राधेश्याम पिता कंवर लाल '' है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे वाद में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

मानसिक कष्ट भी हो रहा है। वादीगण ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम " श्यामलाल पिता कंवर लाल " के स्थान पर " राधेश्याम पिता कंवर लाल " संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थीगण को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस वादपत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन एवं मनन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि राधेश्याम पिता कंवर लाल ही श्यामलाल पिता कंवर लाल है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा राधेश्याम पिता कंवर लाल को गलत तरीके से जमाबंदी में श्यामलाल पिता कंवर लाल दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथाना